FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डल

जगन्नाथ दरोगा बनाम नारायण गाडरी वगैरह

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. नं. 20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
?.6.20	प्रकरण प्रस्तुत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई कि ग्राम मावलास परवार हल्का मावलास तहसील माण्डल के आराजी नम्बर 191 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि जो वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिसके नये नम्बर 191/1 व 191 है। प्रार्थीगण के पिता व दादा पिता श्री किशन ने हरलाल पिता सुरतजार से सम्वत 2014 मे आराजी सं. 76 व 77/3 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा क्रय दिनांक 6.5.1957 सम्वत 2014 मे क्रय की तथा प्रार्थीगण के पिता व दादा पिता श्री किशन दरोगा ने साबिक आराजी संख्या 77/4 रकबा 16 बिस्वा आराजी केसरपुरी पिता तेजपुरी से दिनांक 6.5.1957 सम्वत 2014 को क्रय की तथा साबिक आराजी सं. 76, 77/3 के नये नम्बर 191 बने जो आराजी वर्तमान मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 01 व 02 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है तथा प्रार्थीगण अपने 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हो किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो ने भूल एवं त्रुटिवश उक्त 1/2 हक हिस्से प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर दिया। जिससे विपक्षी सं. 1 व 2 प्रार्थीगण की आराजियात पर कब्जा करने व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न एवं जबरन बेदखल करने पर आमादा है अत: विपक्षी सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से अविधिक तरीके से बेदखल नही करे एंव मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स ...

मैंने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधासंतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल के आराजी नम्बर 191/1 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से अविधिक तरीके से बेदखल नहीं करने व मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 24-7-20 तक जारी की जाती है। धारा 0-39-R-3 की पालना हो। पत्रावली दिनांक 24-7-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2-7-20 वकील प्रार्थीगण एवं वकील विपक्षीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा का मूल वाद पत्र मे पेश होने से पत्रावली शीघ्र तलब की गई। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व विपक्षी सं. 2 फौत होने पर उनका वारिस उपस्थित। मूल वाद पत्र मे आपसी राजीनामा होने से यह पत्रावली इसी स्टेज पर खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

[illegible]
[illegible]
जामनासिंह
[illegible]
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.07.24 11:42:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: